

न्यायालय-सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

व्यव0वाद क0-32ए/2009
संस्थापित दि0-08.05.2009

श्रीमति कमलाबाई पति स्व0 श्री दौलतराव पारखे,
 उम्र 60 वर्ष, साकिन-राय साहब का बगीचा,
 न्यू बैतूल स्कूल के सामने, कोठीबाजार, बैतूल

-----वादीनी

-:: विरुद्ध ::-

- 1- श्री गोपालराव पिता श्री सुर्यभान पारखे, उम्र 64 वर्ष,
 (रिटायर्ड पॉलीटेक्निक प्रिन्सीपल) साकिन मानसनगर,
 सदर बैतूल तहसील, जिला बैतूल,
- 2- खेमराज पिता श्री सुर्यभान पारखे, उम्र 52 वर्ष,
 साकिन सोनेगांव, पोस्ट खेड़लीबाजार, तहसील आमला,
 जिला बैतूल म0प्र0
- 3- योगराज पिता श्री गोपालराव पारखे, उम्र 26 वर्ष,
 द्वारा श्री गोपालराव पिता श्री सुर्यभान पारखे,
 साकिन मानसनगर, सदर बैतूल तहसील, जिला बैतूल
- 4- तारेन्द्र पिता श्री खेमराज पारखे, उम्र 25 वर्ष,
 द्वारा श्री खेमराज पिता श्री सुर्यभान पारखे,
 मु0 सोनेगांव, पोस्ट खेड़लीबाजार, तहसील आमला,
 जिला बैतूल म0प्र0।
- 5- श्रीमति कलावतीबाई पत्नी केशोराव बारस्कर, उम्र 42 वर्ष,
 बसन्त कुन्ज कालोनी अधोध्या बायपास रोड भोपाल।
- 6- श्रीमति ताराबाई पत्नी रामदास देशमुख सा0 चांदस, तहसील वरुड़,
 जिला अमरावती (महाराष्ट्र)
ताईबाई उर्फ ताराबाई के वारसानगण
 1. रामदास पिता भांजीभाऊ, उम्र 68 वर्ष, जाति कुन्बी,
 नि0 ग्राम चांदस, पोस्ट-वाठोड़ा, तह0 वरुड़, जिला अमरावती।
 2. रिषिकेश पिता रामदास देशमुख, उम्र 42 वर्ष, जाति कुन्बी,
 नि0 सर्वे नं. 53/5ए श्री सिद्धी विनायक संकल्प फेज-2

- बी विंग फ्लेट नं. 110 बड़ाची बाडी रोड उन्द्री पुणे।
 3. कांचन पत्नि श्री विकास मानकर, उम्र 40 वर्ष,
 जाति कुन्बी, नि0 सर्वे नं. 34/4 कमल हाईट्स
 फ्लेट नं. 9 पी.के. नगर धमकोडी पुणे।
 4. उमादेवी मगरदे पत्नि अविनाश, उम्र 46 वर्ष,
 जाति कुन्बी, निवासी टेम्बुरखेडी, तह0 वरुड़, जिला अमरावती।
 7- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल, जिला बैतूल म0प्र0।

-----प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 29.07.2016 को घोषित)

- 1- वादी ने विवादित भूमि मौजा सोनेगांव प0ह0नं0 21, तह0 मुलताई, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं. 176, रकबा 0.073, खसरा नं0 321, रकबा 0.072, खसरा नं. 397 रकबा 0.821, खसरा नं. 405 रकबा 6.454, खसरा नं. 409 रकबा 1.404, खसरा नं. 435 रकबा 2.962, कुल रकबा 13.422 हे0 इसके अतिरिक्त लगभग 10 एकड़ भूमि मौजा सोनेगांव में स्थित है, जो कि पारिवारिक बटवारे में स्व0 सुर्यभान को प्राप्त हुई थी जिसमें उक्त भूमि वादी का 1/3 अंश तथा दावा प्रस्तुति के पिछले एक वर्ष का मिन्स प्रॉफिट 12,000/—रूपये वाद प्रस्तुति से वास्तविक आधिपत्य प्राप्त होने तक प्रतिवर्ष 12,000/—रूपये दिलाये जाने का निवेदन कर यह दावा घोषणा, आधिपत्य एवं मिन्स प्राफिट हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादिनी सुर्यभान के बड़े पुत्र दौलतराव की पत्नी है। दौलतराव का स्वर्गवास दिनांक 4/12/1974 को हो गया था। वादीनी एवं दौलतराव के वैवाहिक संबंधों से पुत्री अनिता है।
- 3- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के परिवार के मूल पुरुष रामा के पुत्रों के पुत्र आत्माराम, आत्माराम की संतान सुर्यभान तथा सुर्यभान की संतान वादी एवं प्रतिवादीगण है। वादिनी का पति श्री दौलतराम शिक्षक के पद पर पदस्थ थे तथा सेवा के दौरान ही उनका स्वर्गवास हो गया। वादिनी के ससुर सुर्यभान एवं स्व0 शंकरराव के मध्य हुये आपसी बटवारे में मौजा सोनेगांव प0ह0नं0 21 तहसील मुलताई, जिला बैतूल की सम्पति स्व0 सुर्यभान को खसरा नं. 176 रकबा 0.073, खसरा नं. 231 रकबा 2.072, खसरा नं. 397 रकबा 0.821, खसरा नं. 405 रकबा 6.054, खसरा नं. 409 रकबा 1.040, खसरा नं. 435 रकबा 2.962, कुल 13.42 हे0 भूमि प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त 10 एकड़ भूमि मौजा सोनेगांव में स्थित हैं जो पारिवारिक बटवारे में सुर्यभान को प्राप्त हुई थी। वर्तमान में भूमि

चंद्रभान के नाम पर है परंतु प्रतिवादीगण आधिपत्य में चले आ रहे हैं। मौजा सोनेगांव में ही खानदानी पक्का मकान है। जिसके सामने आंगन एवं रोड एवं रोड के पश्चात् गुलाबराव का मकान हैं बांयी ओर पड़ित भूमि पिछे और बाड़ी दांयी ओर नरसिंहराव का मकान है। उक्त सम्पत्ति खानदानी भूमि होने से वादीनी के पति के लिए यह सम्पत्ति सहदायिकी सम्पत्ति हैं इस सम्पत्ति पर वादिनी के पति का जन्म से स्वत्व एवं अधिकार निहित हो गया था एवं वादीनी एवं वादिनी के पुत्री को भी वह समस्त अधिकार व स्वत्व प्राप्त है जो स्व0 दौलतराम को प्राप्त थे।

4— आगे वादी ने अपने वादपत्र में व्यक्त किया है कि स्व0 दौलतराम की मृत्यु के पश्चात् वादीनी लगभग 1 दो वर्ष तक अधिकांश समय तक उसके ससुराल सोनेगांव में रही। उसके पश्चात् पुत्री अनिता की शिक्षा एवं उसके भविष्य को देखते हुये वादिनी की माँ श्रीमति उर्मिला के पास रही। वादिनी समय-समय पर शादी विवाह त्यौहार पारिवारिक कार्य में ससुराल सोनेगांव आती जाती रही। ससुर सुर्यभानजी वादिनी को समय-समय पर अनाज गल्ला तथा आर्थिक राशि प्रदान करते रहें उसके ससुर सुर्यभान की मृत्यु के पश्चात् उसके देवर भी उसी प्रकार गल्ला एवं राशि प्रदान करते रहे। पुत्री अनिता की शादी भी प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी एवं कन्यादान भी किया गया था।

5— आगे वादी ने अपने वादपत्र में व्यक्त किया है कि वादिनी दिनांक 26/02/14 को नागपुर में इलाज के दौरान जांच से पाया गया कि वादिनी के ब्लड प्रेशर है इस हेतु उसके इलाज हेतु पचास हजार रुपये का व्यय बताए जाने से वादिनी द्वारा प्रतिवादी कं 1 को बिमारी के संबंध में जानकारी दी गई, तब इलाज हेतु रुपयों की आवश्यकता बताई गई जिस संदर्भ में प्रतिवादी कं 1 द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वादीनी अभी कहीं से भी इंतजाम कर ले, फसल आने के बाद प्रदान की जावेगी। इस प्रकार दोनों देवों ने आश्वासन दिया था। वादिनी ने अपने जवाई काशीनाथ सांवले को प्रति कं 1 व 2 को दिनांक 23/03/06 को भिजवाया गया, तो प्रतिवादी कं 1 व 2 के द्वारा श्री काशीनाथ सांवले के साथ असम्मान जनक व्यवहार करते हुये वापस लौटा दिया। राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर श्री काशीनाथ सांवले के द्वारा बताया गया कि मौजा सोनेगांव की भूमि पर वादिनी का नाम ही नहीं है। प्रतिवादीगण ने सुर्यभान की मृत्यु के पश्चात् राजस्व अधिकारियों से समक्ष स्व0 सुर्यभान के समस्त वारसानों का नाम छुपाते हुये स्वयं का ही नाम दर्ज करवाया। वादिनी को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं थी और राजस्व अभिलेख देखने का भी कोई अवसर नहीं आया और वादिनी को कोई सुचना प्राप्त नहीं हुई।

6— आगे वादी ने अपने वादपत्र में व्यक्त किया है कि वादिनी को संपूर्ण खानदानी मकान में एवं कृषि भूमि में प्रतिवादी कं 1 व 2 के समान ही अंश है।

वादिनी वर्तमान में न्याय शुल्क के अभाव में मकान के आधिपत्य हेतु अनुतोष हेतु याचना न करते हुये मात्र उसके स्वत्व की घोषणा मांग रही है। आधिपत्य हेतु अनुतोष आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी. के अंतर्गत सुरक्षित रख रही है। वादिनी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादीगण कृषि कर आय प्राप्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण कृषि भूमि पर सोयाबीन, धान, चना, बटना इत्यादि की फसल प्राप्त करते आ रहे हैं जिसमें कम से कम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की शुद्ध आय प्राप्त कर रहे हैं दुसरी ओर वादिनी को इलाज में एवं भरण पोषण में गंभीर आर्थिक विपत्ति से जीवन यापन कर रही है। वादिनी को मात्र पेंशन राशि 1977/-रुपये प्राप्त होते हैं। उक्त परिस्थिति में वादिनी द्वारा एक सूचना पत्र अधिवक्ता के माध्यम से इस आशय का प्रेषित किया गया था कि प्रतिवादीगण खानदानी सम्पत्ति में वादिनी के स्वत्व को स्वीकार करते हुये वादिनी के पृथक आधिपत्य अंतरित करने में सहमति प्रगट करें। वादिनी को दिनांक 27/04/2006 से प्रथम बार वादिनी को इस तथ्य का ज्ञान हुआ कि प्रतिवादीगण ने आपस में साजिश एवं षड़यंत्र करते हुये स्व0 सुर्यभान के नाम से किसी वसीयत का निर्माण किया है एवं उस आधार पर वादग्रस्त भूमि में स्वयं का स्वत्व अभिकथित न करते हुये उसके पुत्र प्रतिवादी कं 3 एवं 4 का अभिकथित कर रहे हैं।

7— आगे वादी ने अपने वादपत्र में व्यक्त किया है कि स्व0 सुर्यभान वादिनी से अत्यधिक स्नेह करते थे उसके द्वारा अभिकथित वसीयत किए जाने का प्रश्न ही नहीं था। सुर्यभान मृत्यु के दो माह पूर्व से उसके भाई शंकर के घर खेडली बाजार में बीमार हालत में सैया पर रहे, वहीं उनका स्वर्गवास होने से वादिनी वसीयत की वैधानिकता उसके प्रमाणीकरण एवं निष्पादन को भी अस्वीकार करती है अन्यथा भी खानदानी सम्पत्ति की वसीयत करने का एवं सुर्यभान को कोई अधिकार नहीं था। सुर्यभान के स्वर्गवास के लगभग 4-5 वर्ष पश्चात् उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास हुआ था। वाद कारण दिनांक 27/04/16 को उत्पन्न हुआ, जबकि वादिनी को प्रतिवादीगण द्वारा प्रेषित सूचना पत्र के उत्तर में यह कथन किया गया कि वादिनी का कोई हिस्सा नहीं है। वादिनी द्वारा घोषणा एवं मिन्स प्राफिट की राशि हेतु पिछले एक वर्ष का सबसे कम तीस हजार रुपये पर न्याय शुल्क अभाव में बारह हजार रुपये मुल्यांकन कर न्याय शुल्क चस्पा किया गया है मिन्स प्राफिट बारह हजार रुपये एवं वाद प्रस्तुति से वास्तविक आधिपत्य प्राप्त होने पर प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये दिलाये जाने का निवेदन कर यह दावा पेश किया गया है।

8— प्रतिवादी कं. 1 व 2 ने वादी के वाद पत्र का जवाब पेश किया है और स्वीकृत तथ्य को छोड़कर शेष अभिवचनों को अस्वीकार कर अपने जवाब में व्यक्त किया है कि वंश वृक्ष अधूरा है सुर्यभान के तीन पुत्र नहीं चार पुत्र आर दो पुत्री या है जिसमें एक पुत्र एकनाथ की मृत्यु हो चुकी है। पुत्रियाँ श्रीमति कलवंतीबाई, तारि

बाई है जो जिवित होकर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। जिसके अभाव में वाद प्रचलन योग्य नहीं है। वादिनी द्वारा दौलतराव के जीवनकाल में ही उनसे संबंध समाप्त कर दिये थे, यहां तक ही उनके अंतिम दिनों तक ही मृत्यु के समय भी वादिनी दौलतराव के साथ नहीं थी वादिनी के ससुर सुर्यभान का भूमि वारसान हक में प्राप्त नहीं हुई थी बल्कि आत्माराम जी द्वारा भूमि पर दिये कर्ज की सुर्यभान द्वारा अदागयी के कारण उन्हें भूमि प्राप्त हुयी थी। वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि बटवारे से प्राप्त नहीं हुई बल्कि कर्ज अदायगी के कारण प्राप्त हुई सुर्यभान ठेकेदारी का कार्य करते हुये स्वतंत्र आय प्राप्त करते थे जिसकी आय से कर्ज की अदायगी कर भूमि प्राप्त की थी। इस प्रकार वर्णित भूमि सुर्यभान की निजी सम्पत्ति थी।

9— आगे प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में व्यक्त किया है कि कंडिका नं. 4 में भूमि खसरा नं. 405 का रकबा भी गलत दर्शाया है। प्रारंभिक रकबा 4.695 हे0 है। वास्तव में दौलतराम के जीवनकाल में वादिनी द्वारा उसके पति तथा ससुराल से संबंध विच्छेद कर दिया था। विवाह के 5-6 वर्ष बाद भी सन् 1968 से वादिनी केवल दो माह दौलतराव के साथ उनके कार्य स्थल पर रहने के अतिरिक्त कभी साथ नहीं रही ना ही ससुराल सोनेगांव गई सोनगांव वादिनी दौलतराव तेरवी पर तथा सुर्यभान की तेरवी पर औपचारिक रूप से गई थी। परिवार में नहीं रही इसके अलावा किसी भी त्यौहार अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुयी। वादिनीद्वारा बिमारी के बारे में ना ही कोई बिमारी की जानकारी दी गई। वादिनी एवं प्रतिवादी के मध्य वर्षों से कोई संबंध नहीं है और ना ही बोलचाल है। वादिनी द्वारा असत्य कथन किए जा रहे हैं। वास्तव में वर्ष 1968 के पश्चात् वादिनी द्वारा कभी भी प्रतिवादीगण से कोई संपर्क नहीं किया। पहली बार सूचना पत्र दिनांक 31/03/06 प्रेषित कर बिमारी की सूचना दी। आगामी ईलाज बाबत् भी प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं है। काशीनाथ सांवले दिनांक 23, 24/03/06 को न तो प्रतिवादीगण से मिला ना ही कोई खबर दी। वह कभी भी प्रतिवादीगण से मिला ही नहीं तो किसी व्यवहार का प्रश्न ही नहीं होता। सुर्यभान की मृत्यु के पश्चात की गई वसीयत के आधार पर भूमि पर प्रतिवादी कं 3 एवं 4 के नाम दर्ज हुए सुर्यभान के किसी भी पुत्र को उनको द्वारा भूमि नहीं दी गई।

10— आगे प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में व्यक्त किया है कि प्रतिवादी कं. 1 एवं 2 के पास कोई भूमि नहीं है वैसे भी विवादित भूमि के वादिनी को कोई स्वत्व ही प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वादिनी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा आय प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सुर्यभानजी द्वारा स्वेच्छया से दिनांक 14/10/84 को विधिवत वसीयत का निष्पादन किया गया था उस समय प्रतिवादी कं. 1 धमतरी में नौकरी पर था। वादिनी से उसके पति तथा ससुराल वालों से किए गए व्यवहार से सुर्यभान वादिनी से संतुष्ट नहीं थे सुर्यभानजी

के सामने उनके पुत्र दौलतराव के साथ पत्नी का ना रहना उसकी बिमारी एवं जीवन के अंतिम दिनों में कोई खोज खबर ना लेना किसी भी पिता को कैसे संतुष्ट कर सकता था। वर्ष 1968 के बाद बहू का ससुराल से कोई संबंध ना रखना सुर्यभानजी का वादिनी से स्नेह रखने बाबत कथन की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह है। सुर्यभान जी द्वारा वसीयत का निष्पादन खेडली बाजार में ही किया गया था। भूमि पर किस प्रकार सुर्यभानजी को अधिकार था यह उन्होंने वसीयत में स्पष्ट किया है।

11— आगे प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में व्यक्त किया है कि सुर्यभानजी पढ़े लिखे थे तथा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी था वे कभी सुलझे हुये तथा इलाके से समाज में उसी कारण उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वादिनी के वसीयत के निष्पादन एवं प्रभावीकरण को अस्वीकार करने से वसीयत पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है। विवादित भूमि से वादिनी का स्वत्व ही न होने से वादिनी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादी का वाद समयाबाधित है और वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

12— आगे प्रतिवादीगण ने अपने विशेष कथन में व्यक्त किया है कि वादिनी द्वारा वर्ष 1968 के पूर्व से दौलतराव तथा ससुराल से संबंध तोड़ दिये थे। वादिनी द्वारा दौलतराव की मृत्यु 04/12/74 को होने के बाद से सूचना पत्र दिनांक 31/3/06 के पूर्व तक कभी भी भूमि पर अपना दावा नहीं किया। वादिनी द्वारा अपने कन्ट्रैक्ट द्वारा विवादित भूमि पर 32 वर्षों तक हक न जताने से वह अब हक हमाने से विबंधित हो गई। सुर्यभानजी की जीवित पुत्रियों वाद के आवश्यक पक्षका है जिनके अभाव में वाद प्रचलन योग्य नहीं है। स्वयं वादिनी की पुत्री भी वाद में आवश्यक पक्षकार है। मकान को समाहित किये बगैर आंशिक बटवांरा कराने बाबत वाद प्रचलन योग्य नहीं है। इसी प्रकार उचित मूल्यांकन न किये जाने से भी वाद का आर्थिक क्षेत्राधिकार विवादित है जिसका निराकरण प्रारंभिक रूप से किया जाना आवश्यक है। मकान का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए वादिनी के अनुसार मकान पक्का है जो लगभग पांच लाख रुपये की कीमत का है। मकान तिमंजला है। वादिनी के पास मौजा नाहिया में स्वयं की भूमि है। वादिनी द्वारा अकारण वाद प्रस्तुत करने से प्रतिवादीगण वादिनी से धारा 35(क) व्य0प्र0सं. के तहत 10,000/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि पाने के पात्र है।

13— वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनका मेरे द्वारा निराकरण कर उनके समक्ष निष्कर्ष मेरे द्वारा दिये जा रहे हैं, जो विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

विचारणीय प्रश्न

निष्कर्ष

1—“क्या वादिनी स्वर्गीय सुर्यभान के बड़े पुत्र

दौलतराव की पत्नी है और दौलतराव का स्वर्गवास सुर्यभान के जीवनकाल में ही दिनांक 04.12.1974 को हो गया था?

2-“क्या वाद पत्र की कंडिका क्रं. 4 में दर्शित सम्पत्ति में वादिनी 1/3 अंश के स्वत्वधिकारी है?

3-“क्या सुर्यभान को वादग्रस्त सम्पत्ति के संदर्भ में वसीयत करने का वैधानिक अधिकार नहीं था? यदि हाँ

4-“क्या सुर्यभान द्वारा निष्पादित तथा कथित वसीयत विधि विरुद्ध होकर जाली एवं प्रभावहीन है?

5-“क्या वादिनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग के बदले प्रतिवादीगण से पिछले एक वर्ष का मिन्स प्राफिट 12,000/-रूपये एवं वाद प्रस्तुति से वास्तविक अधिपत्य प्राप्त होने तक प्रतिवर्ष 12,000/-रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है?

6- “क्या वादिनी द्वारा वर्ष 1968 के पूर्व से दौलतराव तथा ससुराल के संबंध तोड़ दिये थे एवं दौलतराव की मृत्यु दिनांक 04.12.74 से 31.03.06 के पूर्व तक अपना दावा 32 वर्ष तक नहीं बताया जाने से विबंधित हो गई ?

7- “सहायता एवं वाद व्यय?”

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—

—::विचारणीय प्रश्न कं0- 01 का निराकरण::—

14- वादी साक्षी कमला पारखे (वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दौलतरावजी वल्द सुर्यभानजी की पत्नी है उसकी पुत्री अनिता है जिसके जन्म के लगभग 6 वर्ष बाद दौलतरावजी का निधन दिनांक 04/12/1974 हो गया

था। वादीनी अपने वाद पत्र की कंडिका 1 में उक्त तथ्यों का ही उल्लेख किया है जिसका खंडन प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया है। बल्कि प्रतिवादी कं 1 व 2 ने अपने जवाबदावे की कंडिका 1 में स्पष्टीकरण के साथ स्वीकार किया है। उक्त स्वीकारोक्ति के तथ्य से यही स्पष्ट होता है कि वादी स्व0 सुर्यभान के बड़े पुत्र दौलतराव की पत्नी है और दौलतराव का स्वर्गवास सुर्यभान के जीवनकाल में दिनांक 04/12/1974 को हो गया था। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 2 का निराकरण

15— वादी साक्षी कमला पारखे (वा0सा0-1) ने अपनी शपथ पत्र की साक्ष्य में बताया है कि दौलतरावजी के स्वर्गवास के समय जो सम्पत्ति उसके ससुर सुर्यभान कास्त करते थे वह भूमि खानदानी सम्पत्ति थी। सुर्यभानजी को पारिवारिक बटवारे में भूमि प्राप्त हुई थी, यही सम्पत्ति विवादित सम्पत्ति है। उक्त साक्ष्य को प्रतिवादीगण की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है। वादीनी द्वारा अपने वाद पत्र की कंडिका 4 में बताया है कि स्व0 सुर्यभान को मौजा सोनेगांव, प0ह0नं0 21 तहसील मुलताई, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं. 176, रकबा 0.073, खसरा नं0 321, रकबा 0.072, खसरा नं. 397 रकबा 0.821, खसरा नं. 405 रकबा 6.454, खसरा नं. 409 रकबा 1.404, खसरा नं. 435 रकबा 2.962, कुल रकबा 13.422 हे0 इसके अतिरिक्त लगभग 10 एकड़ भूमि मौजा सोनेगांव में स्थित है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब की कंडिका में व्यक्त किया है कि सुर्यभान ने ठेकेदारी का कार्य करते हुये स्वतंत्र आय से प्राप्त की थी। इस प्रकार वादी के अभिवचन एवं प्रतिवादीगण के जवाब से यही स्पष्ट होता है कि स्व0 सुर्यभान की ग्राम सोनेगांव में विवादित भूमियाँ थी।

16— खानदानी भूमि होने के संबंध में वादी ने मौखिक अभिवचन किए हैं किन्तु खानदानी भूमि सुर्यभान के पिता आत्माराम की भूमि है। उक्त संबंध में वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि के पुराना खसरा नंबर एवं नया खसरा नंबर के संबंध में अपने वाद पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि विवादित भूमि ही खानदानी भूमि है जो कि स्व0 सुर्यभान को उसके पिता आत्माराम को उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है।

17— वादी ने अपने समर्थन में प्र0पी01 का दस्तावेज नगरीय तथा नगरोत्तर क्षेत्र का अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 गांव सोनेगांव, प0ह0नं0 21 तहसील मुलताई की प्रस्तुत किया है जिसमें पुराना खसरा नं. 131/2 नया खसरा नं. 176 रकबा 0.18/0.0073, पुराना खसरा नं. 180 नया खसरा नं. 231 रकबा 5.12/2.072, पुराना खसरा नं. 277 नया खसरा नं. 397 रकबा 2.03/0.821, पुराना खसरा

नं. 284/1क नया खसरा नं. 405 रकबा 15.95/6.454, पुराना खसरा नं. 285/1, 285/3 नया खसरा नं. 409 रकबा 2.57/1.040, पुराना खसरा नं. 285/7, 286/1, 288/2, 305, 306/1क का नया खसरा नं. 435 रकबा 7.32/2.962 है उक्त दस्तावेज में सुर्यभान आत्माराम भूमि स्वामी के नाम से उल्लेख है। प्र.पी0 2 का दस्तावेज नगरीय तथा नगरोत्तर क्षेत्र का अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 गांव सोनेगांव प0ह0नं0 21 तहसील मुलताई का प्रस्तुत किया है जिसमें पुराना खसरानया खसरा नं. 6 रकबा 32.67/13.422, 28.61, पुराना खसरा नं. 139 नया खसरा नं. 186 रकबा 0.44/0.178, खसरा नं. 144 नया खसरा नं. 191 रकबा 0.16/0.065 जिसमें सुर्यभान पिता आत्माराम, शंकरराव आत्माराम, सीताराम पूज्याजी का नाम संयुक्त रूप से उल्लेख है।

18— प्र.पी. 3 का दस्तावेज खसरा पांचसाला वर्ष 2002-03 का प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 176 रकबा 0.63 खसरा नं. 231 रकबा 2.072 के दस्तावेज में गोपालराव, खेमराज वल्द सुर्यभान तारेन्द्र वल्द खेमराज का नाम सह-खातेदार के रूप में भूमि स्वामी का नाम का उल्लेख है। प्र0पी0 4 का दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2005-06 खसरा नं. 176 रकबा 0.063, खसरा नं. 231 रकबा 2.072, खसरा नं. 297 रकबा 0.821, खसरा नं. 409 रकबा 1.040, खसरा नं. 435 रकबा 2.962, कुल रकबा 6.968 हे0 भूमि का गोपालराव, हेमराज वल्द सुर्यभान, योगेन्द्र, तारेन्द्र व0 खेमराज का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। नक्शा प्र0पी0 5 प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त खसरा का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि स्व0 सुर्यभान की थी।

19— वादिनी ने अपने समर्थन में प्र0पी0 8,9,10,11,12 एवं प्र0पी0 13 का दस्तावेज जमाबंदी वर्ष 1917-18 की प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेज विवादित भूमि के संबंध में नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में रिनंबरिंग पर्चा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि स्व0 सुर्यभान को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् प्राप्त हुई थी।

20— प्र0पी0 14 का दस्तावेज खसरा वर्ष 1992-93 का प्रस्तुत किया है जो ग्राम सोनेगांव की भूमि खसरा नं. 231 रकबा 2.072 सुर्यभान पिता आत्माराम के नाम से भूमि स्वामी के नाम से उल्लेख है। प्र0पी0 15 खसरा वर्ष 1992-93 का खसरा नं. 176 रकबा 0.073 सुर्यभान पिता आत्माराम का नाम भूमि स्वामी के नाम के रूप में उल्लेख है। प्र0पी0 16 का दस्तावेज वर्ष 1992-93 जो कि खसरा नं0 435 रकबा 2.962 सुर्यभान पिता आत्माराम का नाम भूमि स्वामी के नाम से उल्लेख है। प्र0पी0 17 खसरा वर्ष 1992-93 से 1996-97 खसरा नं. 393 रकबा 0.821 में भूमि स्वामी के रूप में सुर्यभान पिता आत्माराम के नाम का उल्लेख है। प्र0पी 18 खसरा वर्ष 1992-93 से 1996-97 ग्राम सोनेगांव की भूमि खसरा नं 409 रकबा 1.404 सुर्यभान

पिता आत्माराम का नाम भूमि स्वामी के नाम से उल्लेख है। उक्त दस्तावेजों की कॉलम नं. 20 में संशोधित प्रविष्टि में गोपालराव, खेमराज, तारेन्द्र वल्द सुर्यभान के नाम का उल्लेख है। उक्त दस्तावेजों से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि स्व0 सुर्यभान के स्वत्व की है।

21— जहां तक विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि स्व0 सुर्यभान का बड़ा पुत्र दौलतराव है जिसकी पत्नी वादीनी है और स्व0 सुर्यभान के जीवनकाल में दिनांक 04/12/74 को दौलतराव का स्वर्गवास हो चुका है और प्र0पी0 1, 2 एवं प्र0पी0 14 से लेकर प्र0पी0 18 के दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित विवादित भूमि खसरा नं. 231 रकबा 2.072, खसरा नं. 176 रकबा 0.073, खसरा नं. 435 रकबा 2.967, खसरा नं. 393 रकबा 0.821, खसरा नं. 409 रकबा 1.404 भूमि स्व0 सुर्यभान की है। वादी के वाद पत्र की कंडिका 1 के वारसानों को जो दर्शाया गया है उसमें सुर्यभान की संतान दौलतराव गोपालराव, हेमराज पुत्रगण तथा कलावती, ताराबाई पुत्री दर्शायी गई है। उसी प्रकार प्रतिवादी के जवाब की कंडिका 1 के अनुसार सुर्यभान की तीन पुत्र नहीं बल्कि चार पुत्र तथा दो पुत्रियाँ हैं जिसमें एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। उक्त जवाब के अनुसार भी यह स्पष्ट है कि एकनाथ की मृत्यु हो चुकी है और वह लॉ औलाद फौत है, यदि उसके वारसान होते तो प्रतिवादीगण या वादी उक्त संबंध में उल्लेख आवश्यक रूप से करते।

22— साथ ही प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 ने अपने जवाब की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि स्व0 सुर्यभान की निजी सम्पत्ति थी। साथ ही वादी के द्वारा ऐसे भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमियाँ स्व0 सुर्यभान को उसके पिता आत्माराम से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं। साथ ही अपने वाद पत्र के अभिवचन में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि स्व0 सुर्यभान के जीवनकाल एवं उसके पिता के जीवनकाल में ही प्रतिवादीगण का जन्म हो चुका था और उक्त भूमि का बटवारा नहीं हुआ था और उक्त भूमि सहदायिकी के रूप में ही थी, जिस कारण हिन्दू सहदायिक परिवार में पिता के जीवनकाल में ही जन्म लेने के कारण उनके पुत्र एवं पुत्रियाँ सहदायिक सम्पत्ति होने से उनका जन्म से अधिकार है। ऐसा भी कोई वादी के द्वारा अपनी साक्ष्य में नहीं बताया है। बल्कि यही माना जायेगा कि स्व0 सुर्यभान की जो सम्पत्ति है वह उसकी स्व अर्जित सम्पत्ति है जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के लिए पैतृक सम्पत्ति मानी जायेगी।

23— हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-8 के अनुसार जहां पर कोई व्यक्ति निवसीयत मृत्यु होती है तो उसकी सम्पत्ति उनके वारसानों को प्राप्त होगी। साथ ही वादी के वादपत्र की कंडिका 1 के अभिवचन अनुसार स्व0 सुर्यभान

की संतान दौलतराव, गोपालराव, खेमराज पुत्रगण है एवं पुत्री कलावती, ताराबाई है। उक्तानुसार वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि स्व0 सुर्यभान के वारसान समान अंश प्राप्त करेंगे। जहां तक वादी दौलतराव की पत्नी है एवं उसकी एक पुत्री अनिता है। इस प्रकार वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि के अतिरिक्त लगभग 10 एकड़ भूमि ग्राम सोनेगांव में जो होना बताया है उक्त भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है उक्त भूमि के संबंध में वादी को कोई अंश प्रदान नहीं किया जा सकता।

24— जहां तक ग्राम सोनेगांव, तहसील मुलताई, जिला बैतूल में स्थित विवादित भूमि खसरा नं. 231 रकबा 2.072, खसरा नं. 176 रकबा 0.073, खसरा नं. 435 रकबा 2.967, खसरा नं. 397 रकबा 0.821, खसरा नं. 405 रकबा 6.454, खसरा नं. 409 रकबा 1.404 उक्त भूमि स्व0 सुर्यभान की स्व अर्जित भूमि है तो उसके वारसान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा- 8 के अंतर्गत स्व0 सुर्यभान के वारसानों को विवादित भूमि का हक प्राप्त होगा। वादी ने अपने वाद पत्र की कंडिका 1 में यह भी अभिवचन किया है स्व0 सुर्यभान के पुत्र दौलतराव के वैवाहिक संबंधों से उसकी एक पुत्री अनिता है। इस प्रकार वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि वादी एवं उसकी पुत्री अनिता 1/5 अंश में से वादी 1/10 अंश एवं उसकी पुत्री अनिता 1/10 अंश तथा शेष स्व0 सुर्यभान के वारसान पुत्रगण गोपालराव, खेमराज एवं उसकी पुत्री कलावती, ताराबाई 1/5, 1/5 अंश प्राप्त करने के अधिकारी हैं एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारसान 1/5 अंश में ही अपना अंश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

25— उर्पयुक्त साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि स्व0 सुर्यभान की स्व अर्जित भूमि है। इस प्रकार वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि वादी एवं उसकी पुत्री अनिता स्व0 सुर्यभान के पुत्रगण गोपालराव, खेमराज, एवं पुत्री कलावती, ताराबाई प्राप्त करेंगे। इस प्रकार वादी एवं उसकी पुत्री अनिता 1/5 अंश में से वादी 1/10 तथा उसकी पुत्री 1/10 अंश एवं स्व0 सुर्यभान के वारसान गोपालराव, खेमराज पुत्री कलावती, ताराबाई 1/5, 1/5 अंश ही प्राप्त करेंगे और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारसान 1/5, 1/5 में ही अपना हक प्राप्त करेंगे। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 2 का निराकरण आंशिक रूप से "प्रमाणित" किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 3 का निराकरण

26— विचारणीय प्रश्न कं. 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि स्व0 सुर्यभान की भूमि थी तो उक्त भूमि को वह विक्रय, दान और वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है। उसे विक्रय, दान व वसीयत करने से

नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 4 का निराकरण

27— वादी साक्षी कमला पारखे (वा0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके ससुर की मृत्यु के पूर्व लगभग एक वर्ष से लकवे से पीड़ित रहे तथा ग्राम सोनेगांव में ही रहे बोलने, चलने, फिरने, सुनने, देखने में असमर्थ थे। इस दौरान उनकी सेवा उनकी पत्नी ने की। गोपालराव सर्विस में होने से वे धमतरी में थे। सुर्यभान की मृत्यु के लगभग एक दो माह पूर्व से अत्यधिक गंभीर स्थिति हो जाने से पूर्णतः अक्षम हो जाने से उनकी पत्नी के द्वारा सोनेगांव से खेड़ली बाजार उसके छोटे भाई शंकरराव के घर स्थानांतरित किया गया, क्योंकि सोनेगांव में सुर्यभान के साथ वह अकेली थी। खेड़ली बाजार में ही सुर्यभान का स्वर्गवास हो गया। वादिनी की जमीन को हड़पने के लिए वादी के देवर द्वारा फर्जी वसीयत बनाई गई विवाद के पश्चात् में वादी के ससुर द्वारा ऐसी वसीयत की ही नहीं जा सकती थी। वादी को वसीयत होने की जानकारी नोटिस के जवाब से ही प्राप्त हुई उसके पूर्व वादी को वसीयत की कोई जानकारी नहीं थी। वसीयत के दिनांक की जानकारी भी वादी को वाद प्रस्तुति के पश्चात् हुई। जिस दिनांक की वसीयत बनी हुई है। उस दिनांक को सुर्यभान वसीयत करने में सक्षम ही नहीं थे। उक्त साक्ष्य को प्रतिवादीगण की ओर से खंडन नहीं किया गया है।

28— जबकि वसीयत को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को है। प्रतिवादीगण के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है और वह प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात् एकपक्षीय हुये हैं और उनके द्वारा वसीयत को न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कराया गया है। साथ ही वादी की साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यही माना जायेगा कि स्व0 सुर्यभान के द्वारा निष्पादित वसीयत विधि विरुद्ध होकर निष्प्रभावी है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 4 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 5 का निराकरण

29— विचारणीय प्रश्न कं. 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वाद पत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि स्व0 सुर्यभान की स्व0 अर्जित भूमि है और वादी एवं उसकी पुत्री अनिता 1/5 अंश में से 1/10, 1/10 अंश प्राप्त करने की अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण से कृषि भूमि के उपयोग के बदले पिछले एक वर्ष का मिन्स प्राफिट 12 हजार रुपये एवं वाद प्रस्तुति दिनांक से वास्तविक आधिपत्य की मांग की है।

30— वादी साक्षी कमला पारखे (वा0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि

वाद प्रस्तुति के एक वर्ष पूर्व से मिन्स प्राफिट आधिपत्य प्राप्त होने तक प्रतिवादीगण से प्रतिमाह 12,000/-रुपये दिलाया जावे। उसी प्रकार वादी साक्षी प्रभाकर ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि प्रति एकड़ ट्रेक्टर से जुताई अर्थात् खेत बनाने वर्तमान में 800/-रुपये प्रति एकड़ का व्यय आता है। तत्पश्चात् एक एकड़ में 30 किलो सोयाबिन की बोनी होती है 1000/-रुपये बीज की कीमत होती है तथा बोनी में 800/-रुपये खर्च आता है। स्प्रे में प्रति एकड़ 800/-रुपये का व्यय होता है। कटाई में लगभग 600/-रुपये प्रति एकड़ का व्यय आता है इसके बाद फसल की थ्रेसिंग में 800/-रुपये व्यय होता है। इस प्रकार एक एकड़ की फसल में संपूर्ण व्यय 800+1000+800+800+600+800 कुल 4800/-रुपये प्रति एकड़ व्यय आता है तथा प्रति एकड़ में कम से कम 8 क्विंटल सोयाबीन होती है। वर्तमान में सोयाबीन की कीमत 3500/-रुपये प्रति क्विंटल है। इस प्रकार 3500x8= 28,400/-रुपये में से कुल खर्च 4800/-रुपये निकालकर 23,600/-रुपये प्रति एकड़ शुद्ध आय होती है।

31- वादी साक्षी ने आगे वाद पत्र में बताया है कि प्रति एकड़ गेहू की फसल की खेती के लिए खेत बनाने 800/-रुपये खर्च आता है, तत्पश्चात् एक एकड़ में 40 किलो गेहू के बीज का व्यय 600/-रुपये, बोनी में डी.ए.पी. खाद 1200/-रुपये, दो बोरी यूरिया खाद 600/-रुपये, सिंचाई में व्यय 1,000/-रुपये कटाई एवं थ्रेसिंग में 1200/-रुपये व्यय होता है। इस प्रकार कुल 800+600+1200+600+1000++1200 कुल 5400/-रुपये व्यय प्रति एकड़ होता है। प्रति एकड़ 12 से 14 क्विंटल गेहू होता है। वर्तमान में गेहू की कीमत 1850/-रुपये प्रति क्विंटल है। एक एकड़ भूमि में गेहू की फसल का कुल खर्च 5400/-रुपये व्यय निकालकर 1850x12= 24,200/-रुपये होता है। 24,200/-रुपये में से व्यय 5400/-रुपये समायोजित करने पर 18,800/-रुपये प्रति एकड़ शुद्ध आय होती है। इस प्रकार वादी के द्वारा अपने समर्थन में जो शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य पेश की गई है वह मौखिक साक्ष्य की तरह पेश की गई है किन्तु दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई हैं। जिससे यह अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है कि वास्तविक रूप से प्रति एकड़ व्यय कितना होता है और उत्पादन प्रति एकड़ कितना होता है और उसका व्यय खर्च करने के पश्चात् प्रति एकड़ प्राफिट आय कितनी होती है। यह भी निकाला जाना संभव नहीं है।

32- वादी साक्षी ने आगे वाद पत्र में बताया है कि किन्तु वादी के द्वारा अपने अनुतोष में पिछले एक वर्ष का मिन्स प्राफिट 12000/-रुपये नगद एवं वाद प्रस्तुति दिनांक से वास्तविक आधिपत्य प्राप्त होने तक 12000/-रुपये दिलाये जाने का निवेदन किया है। न्यायालय के मत में प्रतिवर्ष आय व्यय निकालकर और वादी एवं उसकी पुत्री अनिता की 1/5 अंश को दृष्टिगत रखते हुए 3000/-रुपये

प्रतिवर्ष दावा प्रस्तुति दिनांक से निर्णय दिनांक तक दिलाया जाना उचित है। जबकि वादी द्वारा यह दावा 06/05/06 को प्रस्तुत किया है और निर्णय दिनांक 29/07/16 को इस प्रकार कुल 10 वर्ष का मिन्स प्राफिट 3000X10= 30,000/-रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। किन्तु वादी की वादपत्र की कंडिका 1 के अनुसार उसकी एक पुत्री अनिता है वह भी मिन्स प्राफिट प्राप्त करने की अधिकारी है। किन्तु उसे वादीनी पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण वादी 10 वर्ष का 15,000/-रूपये मिन्स प्राफिट प्राप्त करने की अधिकारी है और वादी उक्त राशि पर ही न्याय शुल्क चस्पा करने पर ही राशि प्राप्त करेगी।

33— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से न्यायालय के मत में वादी एवं उसकी पुत्री अनिता को 1/5 अंश में से 1/10 अंश को दृष्टिगत रखते हुए 15,000/-रूपये दावा प्रस्तुति दिनांक से निर्णय दिनांक तक दिलाया जाना उचित है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 5 का निराकरण आंशिक रूप से “प्रमाणित” किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 6 का निराकरण

34— विचारणीय प्रश्न कं 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है और प्रतिवादीगण के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कारण विचारणीय प्रश्न कं. 6 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय

35— वादी अपना दावा प्रमाणित करने में आंशिक रूप से सफल रहा है। अतः निम्न आशय की डिक्की एवं आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

1— यह घोषित किया जाता है कि वादी वादपत्र की कंडिका 4 में वर्णित भूमि में से 1/10 अंश प्राप्त करने की अधिकारी है।

2— वादी 10 वर्षों का मिन्स प्राफिट 15,000/-रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त राशि न्याय शुल्क चस्पा करने पर ही प्राप्त करेगी।

3— वादी अपना वाद व्यय वहन करेगा।

4— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय हो।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर
पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)

(धनकुमार कुडोपा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0

